JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# महात्मा गांधी नरेगा का रोजगार तथा ग्रामीण विकास पर प्रभाव का एक अध्ययन

**मुकेश कुमार**
शोध छात्र, व्यवासाय प्रबंधन विभाग,महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,
चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश
असि0 प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नाकोत्तर महाविघालय,
कर्वी, चित्रकूट

**डॉ0 विजय सिंह परिहार,**
एसोसिएट प्रोफेसर, व्यवासाय प्रबंधन विभाग,
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश

## सारांश

विकासशील देशों के लिए ग्रामीण विकास की समस्या का सामना करना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जब देश सम्राज्यवादी सत्ता से मुक्त होते हैं, तब जनता सरकार से उपेक्षा करती है कि, विदेशी शासन में रुकी विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान किया जाए। जिससे विकास का लाभ बहुसंख्यक ग्रामीण लोगों तक पहुंच पाए। भारत जैसे देश में ग्रामीण विकास को क्रमवद्ध एवं नियोजित तरीके से शुरुआत की गई, जिसमें विभिन्न योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था कर इसे और मजबूती प्रदान किया गया, परंतु आजादी के 60 दशक बाद गांवों में बेरोजगारी एवं गरीबी को दूर करने हेतु विकास के मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए राष्टीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कर ग्रामीण जनता को काम का अधिकार प्रदान किया गया।

**मुख्य शब्दः–** मनरेगा योजना, रोजगार सृजन तथा ग्रामीण विकास।

## प्रस्तावनाः

भारत गांवों का देश है। वर्ष 2011की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 122 करोड. में से 83.4 करोड़ (69.16 प्रतिशत) गांव में रहती है। इसलिए भारत के विकास के लिए आवश्यक है कि गांवों का विकास किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई।[1]

एकांकी विकास किसी भी समाज, क्षेत्र या देश के लिए लाभकारी न होकर हानिकारक होता है। अतः विकास की नई रणनीतियों के अनुसार विकास का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समाज के उपेक्षित एवं कमजोर तबकों के लोगों के विकास का अधिक अवसर प्रदान कर, उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में ब्याप्त विषमता को दूर करना माना गया, साथ ही साथ ग्रामीण जीवन में सुधार के अतिरिक्त मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित सुविधाओं, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि का विकास भी किया गया। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को

प्राथमिकता देना ही ग्रामीण विकास है। जिसके अंतर्गत कृषि विकास, ग्रामीण गृह निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, समाजिक, आर्थिक ढांचे में परिवर्तन को शामिल किया गया है।[2]

मनरेगा ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करने एवं उन्हें अतिरिक्त आय प्रदान कर उन्हें सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ–साथ स्वास्थ्य, शिक्षा में मजबूती प्रदान किया है। यह ग्रामीण परिवार को 100 दिन का निश्चित रोजगार का अधिकार देता है काम न मिलने पर निश्चित बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था भी की गई है।

भारत गांवों का देश है यहां की लगभग 70 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में निवास करती है। जिस कारण भारत का गांव हमेशा से चर्चा का विषय बना रहता है। महात्मा गांधी ने भी भारत के विकास का रास्ता ग्रामीण विकास और मनरेगा गांव से होकर जाने की बात, स्वीकार की है। यानि की भारत के विकास के लिए बनने वाली नीतियों में भारत के गांवों को केंद्र में रखा जाए। गांधी, विनोबा भावे जैसे विद्वानों ने इन गांवों के शासन को ग्राम स्वराज का नाम दिया जिसमें गांव में अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति सम्प्रभुता संपन्न होकर राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में अपनी सक्रिय व सृजनात्मक भागीदारी सुनिश्चित कर सकेगा। इस राष्टीय विकास की मुख्यधारा में अपनी पहचान व संसकृति तथा जीवन शैली का पालन करते हुए अपने जीवन यापन हेतु सतत विकास के केंद्रीय अवयव के रूप में साधन जुटा सकता है।[3]

**मनरेगा एक संक्षिप्त परिचयः**

मनरेगा पहला राष्ट्रीय कानून है जिसके तहत रोजगार की अभूतपूर्व व्यवस्था है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य रोजगार के लिए पूरक अवसर उपलब्ध कराना है। 2 फरवरी 2006 में यू.पी.ए.सरकार द्वारा देश के प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के बंदोपाली से देश के 200 जिलों में पायलट रूप से लागू किया और धीरे–धीरे 5 वर्षों में देश के संपूर्ण जिलों में इस योजना का विस्तार करने का लक्ष्य रखा और 2008 तक देश के सभी 604 जिलों में लागू कर दिया गया।

**अवधारणा और उद्देश्य–**

अधिनियम में इसके कुछ लक्ष्य और उद्देश्य घोषित किए गए, अब चाहने वालों का रोजगार एक वैधानिक हक है। इस अधिनियम का उद्देश्य व लक्ष्य प्रस्तावना में दर्ज है; जैसेः "देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक गृहस्थी को जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करन तथा उससे सशक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित है।" "वयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है; "गृहस्थी" से किसी कुटुम्ब के सदस्य अभिप्रेत हैं, जो एक दूसरे से रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित है और एक सामान्यतः एक साथ निवास करते तथा सम्मिलित रूप से भोजन करते हैं या एक सामान्य राशन कार्ड रखते हैं; "टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के संसाधनों के लिए आधार को सुदृड़ करना योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

**मनरेगा का उद्देश्यः**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) दिनांक 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, को किसी वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की गारंटी देने का अधिदेश दिया गया है। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैंः ग्रामीण भारत में रहने वाले सार्वाधिक कमजोर वर्गो को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

- ग्रामीण इलाकों मे स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिससे आजीविका में वृद्धि हो।
- गांवों के जंगल,जल एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना ।
- महिलाओं का सशक्तिकरण।
- गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना।
- सामाजिक समरसत्ता एवं समानता सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण भारत में सूखा बचाव और बाढ़ प्रबन्ध को मजबूत करना

**साहित्य की समीक्षाः**

संबंधित शोध साहित्य की समीक्षा किसी भी शोध अध्ययन का एक आवष्यक पक्ष होता है। किसी कार्य या तथ्य के बारे में बिना यह ज्ञात किये कि इसके पूर्व तथ्य संबंधी क्षेत्र या कार्य में क्या अध्ययन हुआ है। कुछ कहना या आगे बढ़ना प्रायः अव्यवहारिक एवं आविवेक पूर्ण होता है। साहित्य की समीक्षा न केवल महात्वपूर्ण चरों की प्राप्ति में सहायक होती है। अपितु पूर्व में सम्पादित अध्ययनों व प्रमुख बिन्दुओं एवं कमियों को समझने की अन्तः दृष्टि प्रदान करती है।

**नारायणन और अन्य (2014)**[6] द्वारा महाराष्ट्र में 20 जिलों के 100 गांवों में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सम्पन्न 4100 निर्माण कायों और औचक चुने गए 4800 लाभार्थियों पर सर्वेक्षण किया। अध्ययन में पाया गया कि 87 प्रतिशत कार्य प्रशासनिक आंकड़ों द्वारा वैध पाए गए थे। इसके अतिरिक्त, अध्ययन में यह भी पाया गया कि मौजूद 75 प्रतिशत कार्य सीधे कृषि से जुड़े थे। इससे अधिक महत्वपूर्ण, अत्यधिक रूप से' 92 प्रतिशत लाभार्थियों ने कार्यों को 'बहुत उपयोगी' या 'कुछ–कुछ उपयोगी' बताया केवल 8 प्रतिशत प्रतिवादियों ने ही कार्यों को 'अनुपयोगी' पाया। लेखक ने पाया कि लाभार्थियों का विचार था कि कार्यों का चयन समग्र नहीं था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सम्पन्न कार्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहायक थे और पर्याप्त रूप से कृषि से संबंध्ति थे। कार्यों का समग्र रूप से चयन करने की प्रक्रिया की सिफारिश करते हैं, जिसमें कार्यों की योजना बनाने में सभी कार्यो को शामिल किया जाए।

**सेबस्टियन और अजीज (2014)** [7] द्वारा महात्मा गांधे नरेगा के अंतर्गत सम्पूर्ण कार्यों और जैव–विविधता संरक्षण से इनकी सम्बधता की संभावना की तलाश की गई। लेखकों का न केवल यह मानना हैं कि महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों से परिसम्पत्तियां सृजित हुई हैं बल्कि उन्होंने यह तर्क भी दिया है कि इन्हें अनिवार्य रूप से जैव–विविधता संरक्षण के बड़े एजेंडे के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। यह विश्लेषण इस बात की भी पैरवी करता है कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत शुरू किए गए हरित कार्यों को वानरोपण, वनप्रांत और संबंधित प्रचालनों तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से जैव–विविधता के संरक्षण के लिए एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

**रंगास्वामी और शशि कुमार (2011)**[8] महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हुए कार्यो का राज्यवार तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में मनरेगा के तहत 50 प्रतिशत परिवारों को लाभ मिला जिसका सीधा प्रभाव यहॉ के लाभांवितों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा क्योंकि छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में गरीबी राष्ट्रीय औसत के अधिक है। मनरेगा के तहत आवंटित राशि का उपयोग सर्वाधिक मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में किया गया तत् पश्चात् आंवटित राशि का उपयोग उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ पश्चिम बंगाल एवं बिहार द्वारा किया गया।

**अध्ययन के उद्देश्य–**प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा गरीबी, संवेदनशील और हाशिए के लोगो की आय और आजीविका सुरक्षा का एक स्थायी स्त्रोत उपलब्ध कराने रोजगार एवं ग्रामीण विकास की समस्या का समाधान करने में किस हद तक सफल रही है। इस लिए हमारे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है–

1. मनरेगा का रोजगार पर प्रभाव का अध्ययन।
2. मनरेगा का सामाजिक सशक्तिकरण पर प्रभाव का अध्ययन।
3. मनरेगा का गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर प्रभाव का अध्ययन।

**शोध प्रविधि–**

प्रस्तुत शोध पत्र मुख्यतः द्वितीयक आकड़ो पर आधारित है। द्वितीयक आकड़े मुख्य रूप से किताबे, विभिन्न जनरल, शोध पत्रों, समाचार पत्रों, ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिर्पोट वwww.nrega.nic.in इत्यादि से लिए गये है।

**मनरेगा का** राष्ट्रीय **स्तर पर कुल व्यय–**

मनरेगा पर होने वाले व्यय की बात की जाय तो राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुल 8 वर्षो (2014-15 से 2021-22) में कुल ₹4,78,443 करोड़ खर्च किया गया जिसमें सबसे अधिक श्रमिकों के मजदुरी पर ₹ 3,31,104 करोड़ व्यय हुआ जो कुल व्यय का लगभग 70 प्रतिशत है। जबकि सामग्री और कुशल श्रमिकों पर कुल व्यय ₹1,25,081 करोड़ जो कुल व्यय का 26 प्रतिशत और प्रशाशनिक व्यय 27009 करोड़ जो कुल खर्च का लगभग 05 प्रतिशत है। (देखे तालिका न0–1)

**तालिका न0–1** मनरेगा का राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मदों पर कुल व्यय–

| National Level Expenditure (In Cr.) (MGNREGA) 2014-15 to 2021-22 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Financial Year | Total Expenditure | Labour Wages | Material and Skilled | Admin. Expenditure |
| 2014-15 | 36,225.00 | 24,187.00 | 9,421.00 | 2,416.00 |
| 2015-16 | 44,002.00 | 30,890.00 | 9,693.00 | 2,376.00 |
| 2016-17 | 58,062.00 | 40,750.00 | 14,428.00 | 8,883.0 |
| 2017-18 | 63,649.00 | 43,128.00 | 18,100.00 | 2,420.00 |
| 2018-19 | 69,618.00 | 47172.00 | 19465.00 | 2980.00 |
| 2019-20 | 68,265.00 | 48,847.00 | 16,192.00 | 3,225.00 |
| 2020-21 | 1,100,00.0 | 76,966.00 | 29,210.00 | 3,823.00 |
| 2021-22 | 28,622.00 | 19,164.00 | 8,572.00 | 886.000 |
| Total | 4,78,443.00 | 3,31,104.00 | 1,25,081.00 | 27,009.00 |

स्त्रोतः www.rural.nic.in , ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।

चित्र न0 –01 मनरेगा का राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मदों पर कुल व्यय–

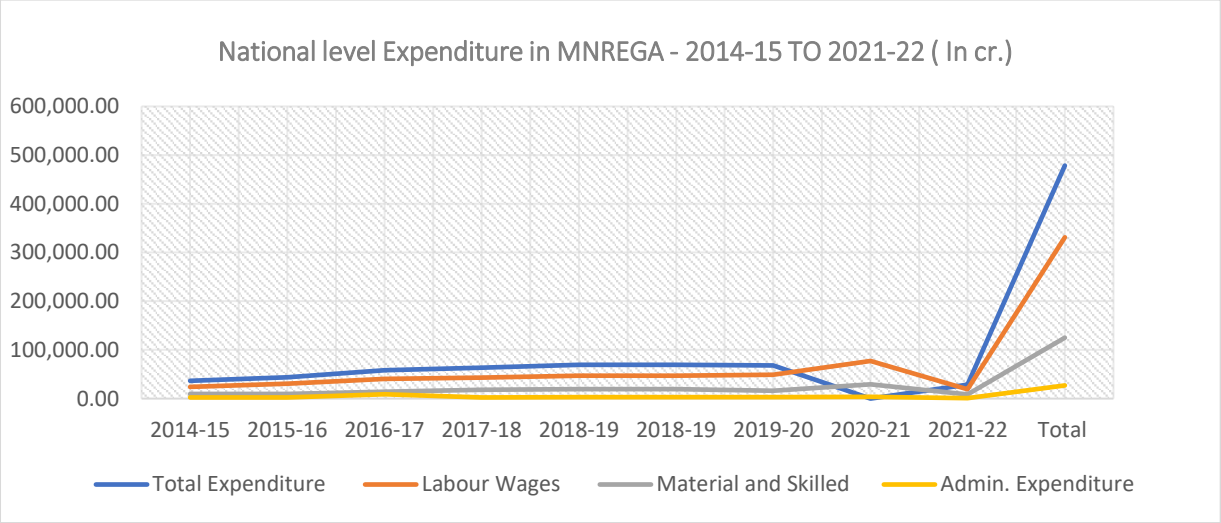


वर्षवार खर्च की बात करे तो 2014–15 में राष्ट्रीय स्तर पर कुल व्यय ₹ 36225 करोड़ रूपये का था जिसमे मजदुरी पर सबसे अधिक ₹ 24187 करोड़ खर्च किया गया। सामग्री और कुशल श्रमिकों व प्रशासनिक क्रियाओं पर कुल व्यय क्रमशः ₹9421 व ₹ 2416 करोड़ थी। 2015–16 में कुल व्यय बढ़कर ₹ 44002 करोड़ हो गया जो 2014–15 की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार 2016–17, 2017–18, 2018–19 और 2019–20 में क्रमशः ₹ 58062 करोड़, ₹ 63649 करोड ₹69618 करोड़, व 68265 करोड थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 वैश्विक करोना महामारी के कारण जब देश में लॉकडाउन लगाया गया उससे बड़े पैमाने प्रवासी मजदूर अपने–अपने घरो की ओर लौटे, गावों में रोजगार के अभाव के कारण बडे पैमाने पर बेरोजगारी समस्या उतपन्न हो गयी जिसके कारण सरकार मनरेगा के बजट को वित्त वर्ष 2020–21 में ₹60000 करोड़ से बड़ाकर ₹1100000 करोड. कर दिया गया जिसमे प्रवासी मजदूरो को गावों में अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। 2020–21 मनरेगा से कुल 389.21 करोड. मानव दिवश रोजगार का सृजन हुआ जिसपर लगभग ₹77000 करोड़ मजदूरी पर खर्च किया गया तत्पश्पात सामग्री व कुशल श्रमिकों पर ₹ 29210 करोड़ खर्च किया गया तथा 3823 करोड़ प्रशासनिक क्रियाओं पर व्यय किया गया।

## आय और रोजगार सृजन पर प्रभाव–

महात्मा गांधी नरेगा का उद्देश्य गरीबी, संवंदनशील और हांसीए के लोगो को आय और आजीविका की सुरक्षा का एक स्थायी स्त्रोत उपलब्ध कराना है। इस संबंध में ग्रमीण क्षेत्रों में ब्याप्त गरीबी को दूर करने और समेकित प्रगति पर महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावो संबंधी वर्तमान साहित्य की समीक्षा की गई है, जिससे यह जाना जा सके कि यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में किय हद तक सफल रही है। अब तक किये गए अध्ययनो से यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी नरेगा के द्वारा गावों में ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध करा के, उनको अतिरिक्त आय को कमाने का

अवसर दिया है। इस अतिरिक्त आय से न केवल उनकी आजीविका सुरक्षित हुई बल्कि उनकी क्रयशक्ति के साथ–साथ उनकी मोल भाव करने की क्षमता में भी वृद्वि हुई है। प्रस्तुत सारणी में 2014–15 से 2021–22 तक महात्मा गांधी नरेगा के द्वारा कुल सृजित मानव दिवस रोजगार का समुदाय वार अध्ययन किया गया है। देखे चित्र

**चित्र न0.**–2 मनरेगा के तहत मानव दिवस का सृजन

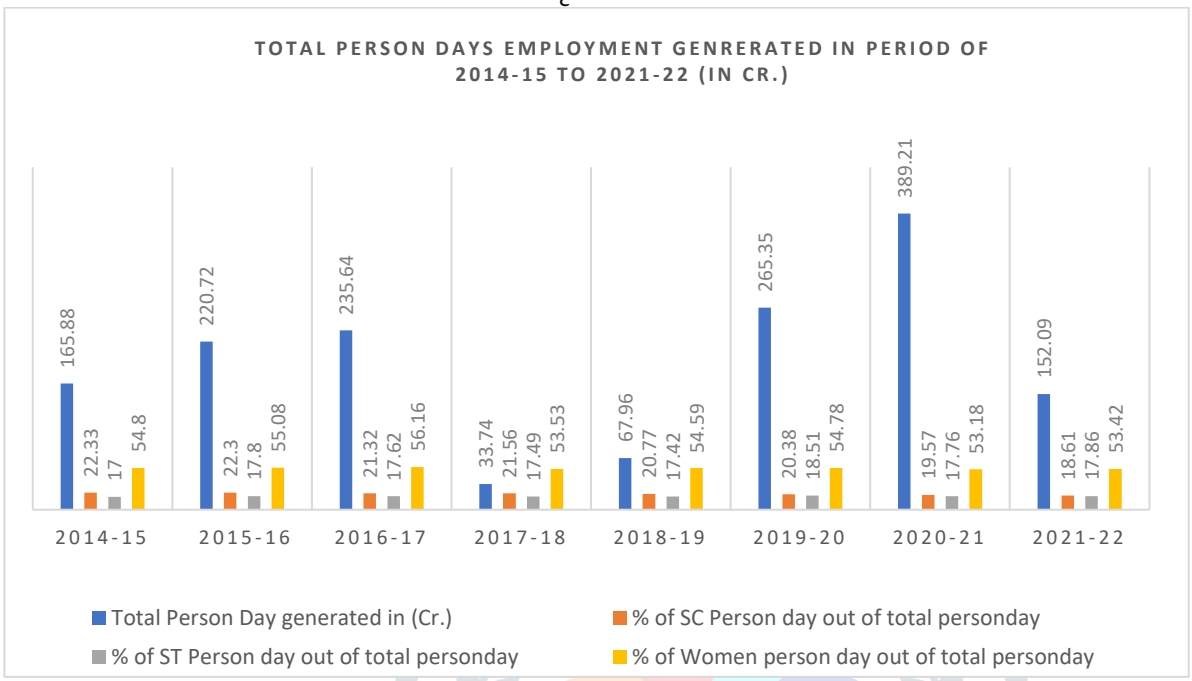


**स्त्रोत– www.nrega.org.in, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार**

वित्त वर्ष 2014–15 से वित्त वर्ष 2021–22 तक पिछले 08 वर्षो के दौरान कुल औसतन 242 करोड़ मानव कार्य दिवस का सृजन हुआ। जिसमें अनुसूचित जाति 167 करोड. लगभग (21 प्रतिशत)। 142 करोड़ लगभग (17.7) प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति। इसी प्रकार कुल मानव दिवसों में महिलाओं की 378 करोड़ जो कुल सृजित कार्य दिवस का लगभग 47 प्रतिशत है। 2014–15 में कुल 165 करोड. मानव कार्य दिवस का सृजन हुआ जिसमें 22.3 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 17 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल थे जबकि कुल कार्य दिवस में महिलाओं की भागेदारी 54 प्रतिशत थी। इसी प्रकार 2014–15 में औसतन 46 दिन का रोजगार का सृजन हुआ। 2015–16 कुल 222 करोड. मानव कार्य दिवस का सृजन हुआ जिसमें 22.30 प्रतिशत अनुसूचित जाति व लगभग 18 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल थे जबकि कुल कार्य दिवस में महिलाओं की भागेदारी 54 प्रतिशत थी इसी प्रकार 2015–16 में औसतन 46 दिन का रोजगार का सृजन हुआ।

2016–17 कुल 236 करोड. मानव कार्य दिवस का सृजन हुआ जिसमे 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति व लगभग 18 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल थे जबकि कुल कार्य दिवस में महिलाओं की भागेदारी 56 प्रतिशत थी। 2016–17 में औसतन 46 दिन का रोजगार का सृजन हुआ। 2017–18 कुल 234 करोड़ मानव कार्य दिवस का सृजन हुआ जिसमें 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति व लगभग 18 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल थे, जबकि कुल कार्य दिवस में महिलाओं की भागेदारी 54 प्रतिशत थी। इसी प्रकार 2017–18 में औसतन 46 दिन का रोजगार का सृजन हुआ।

2018–19 कूल 268 करोड़ मानव कार्य दिवस का सृजन हुआ जिसमें 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति व लगभग 17.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल थे, जबकि कूल कार्य दिवस में महिलाओं की भागेदारी 56 प्रतिशत थी। इसी। 2018–19 में औसतन 46 दिन का रोजगार का सृजन हुआ। 2019–20 कुल 265 करोड़ मानव कार्य दिवस का सृजन हुआ, जिसमें 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति व लगभग 19 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल थे जबकि कुल कार्य दिवस में महिलाओं की भागेदारी 55 प्रतिशत थी। इसी प्रकार 2019–20 में औसतन 48 दिन का रोजगार का सृजन हुआ।

2020–21 कूल 390 करोड. मानव कार्य दिवस का सृजन हुआ जिसमें 19.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति व लगभग 17.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल थे, जबकि कुल कार्य दिवस में महिलाओं की भागेदारी 53 प्रतिशत थी। 2021–22 में औसतन 52 दिन का रोजगार का सृजन हुआ। 2020–21 कुल 151 करोड. मानव कार्य दिवस का सृजन हुआ, जिसमें 19 प्रतिशत अनुसूचित जाति व लगभग 18 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल थे, जबकि कुल कार्य दिवस में महिलाओं की भागेदारी लगभग 54 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, 2020–21 में औसतन 30 दिन का रोजगार का सृजन हुआ।

**महात्मा नरेगा तथा टिकाऊ संपत्ति की रचना–**

महात्मा गाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गार ंटी योजना यानी मनरेगा को लागू हुए 15 वर्ष हो गए है। 2006 में देश के सबसे गरीब 200 जिलों में इसकी शुरूआत हुई थी, 2008 के बाद पुरा देश इसके दायरे में आ गया। उम्मीद थी कि यह क्रातिकारी कानून गांवों में फैली गरीबी को दूर करने अहम भूमिका निभाएगा और ऐसी परिसंपत्तियों का निमार्ण करेगा गावों के विकास में दीर्धकाल तक मददगार साबित होगी। तमाम विसग ंतियों के बावजूद मनरेगा से 15 वर्षो में लगभग 30 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों का सृजन किया गया है। मनरेगा का सगसे महत्वपूर्ण पहलु यह है कि व्यापक स्तर पर श्रमिकों के जरिए गावों में परिसपत्तियों का निमार्ण कराया गया। इस कानून के तहत हुए कामों में 70 फीसदी काम जल संरक्षण के कार्य शामिल है। यही वजह है कि मनरेगा के पिछले 15 वर्षो में जिन कामों पर सबसे अधिक जोर दिया गया है उनमें जल संरक्षण और संचयन के कार्य प्रम ुखता से शामिल है। दिल्ली स्थित शोध संस्थान Institute of economic growth के निदेशक मनोज पांडा के अनुसार, इस योजना के तहत कराए जाने वाले कामों की बात है, ये ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही जल स्रोतों के प्रब ंधन पर केन्द्रीत रहा है। हाल के वर्षो में व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निमार्ण पर भी जोर दिया जा रहा है, इनमें भी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निमार्ण प्राथमिकता में है।

मनरेगा के अस्तिव में आने के साथ ही वाटरशेड विकास जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर काम करने की कोशिश की गई। हालांकि, साल 2009 में जारी गाइडलाइन में व्यक्तिगत जमीन पर परिसंपत्तियां विकसित करने को, शामिल कर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन दायरे को बाढ़ से बचाव, सिचाई की नहर, बाढ़ नियत्रंण, और पंरपरागत जलाशयों का पुनरोद्वार शामिल है। राजस्थान के मनरेगा आयुक्त पूर्णचंद्र किशन ने कहा कि शुरू में 12 प्रकार के कार्यो को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था, लेकिन अब 260 प्रकार के कार्य कराए जा सकते है। इनमें जल संरक्षण/जल संचयन ढांचा से बचाव, सिचाई की नहर, बाढ़ नियत्रंण, और पंरपरागत जलाशयों का पुनरोद्वार शामिल है।

इन ढांचो के आकार को देखे तो मनरेगा के तहत व्यक्तिगत और सामुहिक परिसंपत्तियों बनाने से समाज और पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं इस संबंध में कई शोध किये गये है। उदाहरण के लिए कर्नाटक जैसे राज्य जहॉ चारो तरफ चट्टाने फैली हुई है, वहां वर्ष 2014–15 की अवधि में न केवल खेत–तालाबों से बल्कि छोटे रिसाव तालाब, एनिकट, विभिन्न तरह के बांध और तालाबों से 2986 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भंडारण क्षमता विकसित की गई। तमाम विसगंतियों के बावजूद मनरेगा से 15 वर्षो में लगभग 30 करोड़ से अधिक परिसंपत्तियों का सृजन किया गया। देखे सारिणी न0.3

**तालिका न0. 2**

**महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत शुरू किये गए कूल चालू कार्य वित्त वर्ष 2014–15 से 2021–22 तक**

| वित्त वर्ष | कार्य के प्रकार | शुरू किये गए कुल कार्य | चल रहे कुल कार्य | पूरे किये गए कुल कार्य |
|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | • जल संरक्षण (जैसे कृषि तालाब, रिसाव टैक इत्यादि)।<br>• बाढ नियंत्रण और सुरक्षा (जैसे चेक बांध, पुलियां इत्यादि)।<br>• सुखा बचाव (जैसे वनीकरण, वृक्षा रोपण, कृषि वन इत्यादि)।<br>• सिंचाई हरी (जैसे छोटे और बड़े सिचाई के काम इत्यादि)। | 097.65 | 068.21 | 29.44 |
| 2015-16 | | 123.12 | 086.94 | 36.18 |
| 2016-17 | | 162.12 | 097.07 | 65.46 |
| 2017-18 | | 185.56 | 122.93 | 62.63 |
| 2018-19 | | 197.56 | 106.84 | 90.22 |
| 2019—20 | | 189.31 | 114.64 | 74.67 |
| 2020-21 | | 220.00 | 137.65 | 82.60 |
| 2021-22 | | 149.04 | 133.67 | 15.38 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| कुल कार्य | • ग्रामीण संपर्क मार्ग<br>• छोटे व सीमांत किसानो की भूमि सुधार संबंधी कार्य। | 1324.36 | 867.95 | 456.58 |

**स्त्रोत–www.nrega.ac.in**

टिकाऊ परिसंपत्तियों की रचना करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका स्तोत्रों के आधार को मजबुत बनाना महात्मा गांधी नरेग का प्रमुख उद्देश्य है। अंतर राज्य व क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा अनुमत कार्यो की व्यापक श्रेणी प्रदान करत है। महात्मा गांधी नरेगा की शुरूआत से लगभग 146 काम शुरू किए गए है, इनमें लगभग 51 प्रतिशत काम पानी से (जल संरक्षण बाढ़ नियंत्रण, सिचाई, सुखा बचाव, पारंपरिक जल निकाओं और सुक्ष्म सिचाई साधनों का जिर्णोद्धार) जुड़े है। 19 प्रतिशत का ग्रामीण संपर्क से जुड़े है। (देखे तालिका–4) इस प्रकार महात्मा गांधी नरेगा के कामों में ग्रामीड़ समुदायों को लाभावित करने क क्षमता हैः जिसमें सिचाई सुविधाओं में सुधार, भूमि उत्पादकता में वृद्धि और दूर–दराज के गावों को बाजार से जोड़ना शामिल है इस अध्ययन मे महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत निर्मित परिसंपत्तियों, उनकी गुणवत्ता व कार्य क्षमता, कार्य पुरा करनें की दर औ उनका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, के संबंध में उपलब्ध साहित्य की आलोचनात्मक समीक्षा किया गया है। जैसा कि चित्र स स्पष्ट है।

**चित्र न0–03 महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत शुरू किये गए कूल चालू कार्य वित्त वर्ष 2014–15 से 2021–22 तक**

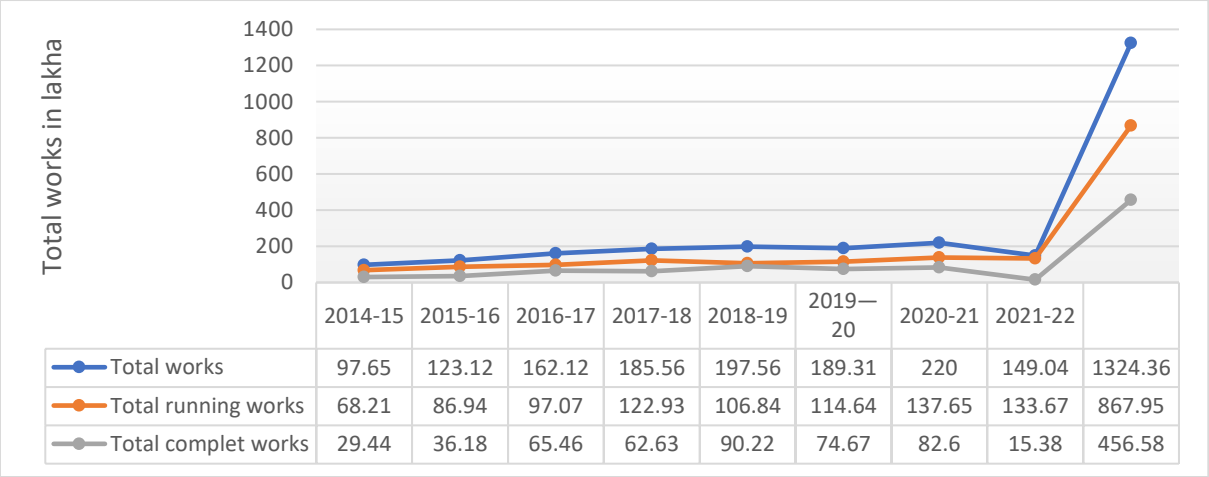


| | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019–20 | 2020-21 | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total works | 97.65 | 123.12 | 162.12 | 185.56 | 197.56 | 189.31 | 220 | 149.04 | 1324.36 |
| Total running works | 68.21 | 86.94 | 97.07 | 122.93 | 106.84 | 114.64 | 137.65 | 133.67 | 867.95 |
| Total complet works | 29.44 | 36.18 | 65.46 | 62.63 | 90.22 | 74.67 | 82.6 | 15.38 | 456.58 |

कुल मिलाकर अध्ययन दर्शाते है कि लधु स्तर पर बेहतर योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से कई उत्पादक संपत्तियों की रचना की गई है किन्तु महात्मा गांधी नरेगा के अर्न्तगत सतत और टिकाऊ संपत्ति की रचना के किर्यान्वयन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अध्ययन दशार्ते है कि वित्त वर्ष 2014–15 से 2021–22 तक पिछले आठ वर्षो में कुल 13.24 करोड़ कार्य (सभी प्रकार के कार्य) शुरू किये गये जिनमें 4.5 करोड़ कार्य को ही पुरा किया जा सका तथा लगभग 09 करोड़ कार्य अभी प्रगति पर है।

## निष्कर्ष :–

करोना काल में लॉकडाउन के दौरान जब उघोग–धन्धे, बाजार, दुकाने और काम सब बंद हो गए। करोड़ो कामगार मजदुर परिवार मायूष होकर अपने अपने गावों और धरों की ओर लौटे, शहरों में कमाई का जरियां बंद होने के कारण जेबे खाली थी। ऐसे संकठ के समय में महात्मा गांधी नरेगा उनके व उनके परिवार लिए रोजगार व कमाई की जरियां बना।

मनरेगा दश के कमजोर और गरीब परिवारों की आय और उपभोग को बेहतर बनाया है। इसलिए निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से गावों में रोजगार के अवसर प्रदान करके, गरीब परिवारों के उपभोग स्तरों को बढ़ाने में सफल रहा है। मनरेगा ग्रामीण परिवारों विशेष कर महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महात्मा गांधी नरेगा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यो में से एक को हाल ही में स्वीकार किया गया है, जिसमे जैव–विविधता, संरक्षण को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा ग्रामीण विकास मंत्राालय के सहयोग में कराए गए अनुसंधान से निष्कर्ष निकलता हैं कि, महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों के माध्यम से ग्राम सभावों में परिसम्पत्तियों के सृजन के अनेक उद्देश्य की पुष्टि करते हैं।

## सुझाव :–

जल और भूमि से संबंधीत महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों की बहुलता, पर्यावरणीय हित लाभ और अति संवेदनशीलता में कमी आयी है। ग्रामीण विकास मंत्राालय, भारत सरकार के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना ने भूमिगत जल स्तर को सुधारने या उसे बनाए रखने, सिंचाई के लिए जल की उपलब्ध्ता करने, महात्मा गांधी नरेगा योजना ने भूमिगत जल स्तर को स ुधारने या उसे बनाए रखने, सिंचाई के लिए जल की उपलब्ध्ता बढ़ाने, सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने और अंततः मानव और पशुओं के लिए पेयजल की उपलब्ध्ता में सुधार लाने में भागीदारी की है। भारतीय विज्ञान संस्थान ने टिप्पणी की है कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियां स्थायी हैं। अर्थात्, कार्य की तकनीकी गुणवत्ता भले ही कैसी भी हो, तब भी परिसम्पत्तियां उपयोगी होंगी और पर्यावरण के लिए हितकारी होंगी।

जब देश में लाकॅडाउन व मंदी से अर्थब्यवस्था की हालत नाजुक हो, ग्रमीण् क्षेत्रों में रोजगार का अभाव हो, एसे समय में ग्रमीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) की अधिक आवश्यकता है। जबकि केन्द्र सरकार ने इस पर उतना ध्यान नही दिया, जितना दिया जाना चाहिए था। कई राज्यों का आज भी शिकायत है कि मनरेगा के तहत केन्द्र की ओर से उनके हिस्से का पुरा बजट नही मिला।

देश की जानी मानी अर्थशास्त्री जयती घोष का मानना है कि "देश के ग्रामीण स्तर पर मनरेगा अपने आप में बड़ी कामयाब योजना रही है। ऐसे में जब देश मंदी की वजह से बेरोजगारी में बढ रही है, ऐसे समय ग्रामीण स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मनरेगा से बेहतर विकल्प सरकार के पास नही हो सकता है। ऐसे समय में मनरेगा पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।"

## संदर्भ ग्रथ–


1. सेन, अमर्त्य और द्रेज़,ज्यां (2019) भारत और उसके विरोधाभास, राजकमल प्रकासन प्रा.लि. नई दिल्ली, पेज न0 205–207
2. जालान विमल, भारत की अर्थनीति, 21वीं सदी ओर, राजकमल प्रकाशन प्रा0लि0 नई दिल्ली 2003
3. रंगरातन,सी., भारत की अर्थनीति, नये आयाम राजपाल प्रकाशन एण्ड संन्स, IBSN : 978.81. 7028.378.2, नई दिल्ली 2010
4. सेन, अमर्त्य, गरीबी और आकाल, राजपाल प्रकाशन एण्ड संन्स, IBSN : 978.81.7028.303.4, नई दिल्ली 2011
5. जलान,विमल, भारत का भविष्य, राजनीति, अर्थशास्त्र और शासन, पेगुइन बुक्स इडिया प्रा.लि, ISBN:9780.1431. 0367.7,गुड़गाव, हरियाणा, 2007।
6. द्रेज़,ज्यां (2019), झोलावाला अर्थशास्त्र, वाणी प्रकाशन, भारत में सामाजिक विकास की रीति नीति, ISBN: 978. 93.89563.58.0, नई दिल्ली, 2020
7. दत्त पी.,आर. मुर्रगई, एम. रैवेलियन और डी. वल्ले (2012) 'क्या भारत की रोजगार गारंटी स्कीम रोजगार गारंटी देती है?' इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली XLVII (16)
8. दत्ता, पूजा और अन्य (2014) कार्य करने का अधिकार बिहार में भारत की रोजगार गारंटी स्कीम का मूल्यांकन करते हुए। वाशिंगटन डीसी : विश्व बैंक।
9. लयू, वाई. और सी. बेरट (2012) भारत की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गार ंटी स्कीम मं असंगत गरीब समर्थक लक्ष्य निर्धारण, दिल्ली : आईएफपीआरआई।
10. भास्कर, अंजोर और पंकज यादव (2015) 'अंत भला तो सब भला : झारखण्ड में महात्मा गांधी नरेगा कुंओं का आर्थिक मूल्यांकन', मानव विकास संस्थान पूर्वी केन्द, रांची झारखण्ड, 2015 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को प्रस्तुत रिपोर्ट।
11. सिन्हा,बी.(2013) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की संभरणीयता को बढ़ाने की गंजाइश की पहचान करना। भोपाल : भारतीय वन प्रबंधन संस्थान।
12. मनरेगा समिक्षा–2, 2012–14, ग्रामिण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
13. www.nrega.nic.in

| | |
|---|---|
| **मुकेश कुमार,**<br>असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग<br>गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नाकोत्तर महाविघालय, कर्वी,चित्रकूट<br>Email- mukeshkumaralld@gmail.com<br>मो0 न0–9451314904 | **डॉ0 विजय सिंह परिहार,**<br>एसोसिएट प्रोफेसर, व्यवसाय प्रबंधंन विभाग<br>महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, म0प्र0<br>Email- dr.vspariharcu@gmail.com<br>मो0न0–9450167604 |